न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—84/2017(2017/00244) वाद पत्र

अनवान

1—लक्ष्मण पिता रामा बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

वादी

बनाम

1—भोजा पिता रामा बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
2—छगनलाल पिता रामा बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज
3—बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर जिला भीलवाड़ा बजरिये शाखा प्रबन्धक
4—स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रायपुर जि0 भीलवाड़ा बजरिये शाखा प्रबन्धक
5—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, राज0 टी0 एक्ट

1—सुनिल कुमार जैन **अधिवक्ता वादी**
2—अमर सिंह **अधिवक्ता प्रतिवादी**

निर्णय दिनांक 20.02.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 27.06.2019 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम छातोल पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 475 रकबा 0.19 है0, 585 रकबा 0.20 है0, 586 रकबा 0.03 है0, 587 रकबा 0.25 है0, 588 रकबा 0.26 है0, 591 रकबा 0.11 है0 गैमुआचा. कुल किता 6 कुल रकबा 1.04 है0 भूमि खाता संख्या 131 पर स्थित है। जिसमे वादी का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का भी 1/3 का बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर स्वतन्त्र राजस्व खाता रवेन्यु रिकार्ड में खाले जाने एवं आराजी संख्या 591 रकबा 0.11 है0 गैमुआचा को सामलाती रखते हुए हेतु प्राथमिक डिकी जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

मुकदमा नम्बरः–84 / 2017(2017 / 00244) वाद पत्र

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 18.02.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादीगण एंव प्रतिवादीगण के अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम छातोल पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 475 / 2 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 587 / 1 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 588 / 2 रकबा 0.15 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.31 है0 भूमि लक्ष्मण पिता रामा बलाई देह खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा रायपुर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 585 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 588 / 1 रकबा 0.11 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 है0 भूमि छगनलाल पिता रामा बलाई सा0 देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा रायपुर तथा आराजी संख्या 475 / 1 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 586 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 587 / 2 रकबा 0.19 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.31 है0 भोजा पिता रामा बलाई सा0 देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा रायपुर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 591 रकबा 0.11 है0 सामलाती बदस्तुर रेकार्ड कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20.2.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–84 / 2017(2017 / 00244) वाद पत्र

अनवान

1–लक्ष्मण पिता रामा बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

वादी

बनाम

1–भोजा पिता रामा बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
2–छगनलाल पिता रामा बलाई निवासी छातोल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज
3–बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर जिला भीलवाड़ा बजरिये शाखा प्रबन्धक
4–स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रायपुर जि0 भीलवाड़ा बजरिये शाखा प्रबन्धक
5–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, रा0 टि0 एक्ट

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम छातोल पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे की प्रस्तावित आराजी संख्या 475 / 2 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 587 / 1 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 588 / 2 रकबा 0.15 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.31 है0 भूमि लक्ष्मण पिता रामा बलाई देह खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा रायपुर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 585 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 588 / 1 रकबा 0.11 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.31 है0 भूमि छगनलाल पिता रामा बलाई सा0 देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा रायपुर तथा आराजी संख्या 475 / 1 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 586 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 587 / 2 रकबा 0.19 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.31 है0 भोजा पिता रामा बलाई सा0 देह खातेदार रहन बीआरकेजीबी शाखा रायपुर तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 591 रकबा 0.11 है0 सामलाती बदस्तुर रेकार्ड कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 20.02.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.02.25 16:08:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: